



# उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-सूची

सोमवार, 01 पौष, शक संवत् 1947

(दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 ₹0)

समय: 11.00 बजे पूर्वाहन

1. प्रश्न देखिये नहीं (क)।

2. 12:20 बजे अपराह्न

वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

3. वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखेंगे।

8. औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखेंगे।

9. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखेंगे।

10. श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखेंगे।

11. मुख्य मंत्री, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की क्रिया कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-7 'शिकायत निवारण तंत्र' की उपधारा-16(6) (च) के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

12. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1701 / ग्यारह-2-25-9(47)-17- टी०सी०-286-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (350)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

13. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1703 / ग्यारह-2-25-9(47) 17 टी०सी०-288-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (351)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

14. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1706/ ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी०सी०-291- उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (352)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

15. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1707 / ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी०सी०-292-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (353)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

- 16.मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1708 / ग्यारह-2-25-9(47)/17 टी०सी०-293-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (354)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।
- 17.मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1709 / ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी०सी०-294-उ०प्र० अधि०-1-2017 आदेश (355)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।
- 18.मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1711/ ग्यारह-2-25- 9 (42)-17- टी०सी०74-उ०प्र०जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश (356)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।
- 19.मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1705/ग्यारह-2-25- 9 (47)-17- टी०सी०-290-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (357)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।
20. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1710/ ग्यारह-2-25- 9(47)-17-टी०सी०-295-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (358)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।
- 21.मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1702/ग्यारह-2-25- 9 (47)/17-टी०सी०-287-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (359)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।
- 22.मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1700/ग्यारह-2-25- 9 (47)/17-टी०सी०-285-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (360)-2025, दिनांक 20

सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

23. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1704/ग्यारह-2-25- 9 (47)/17-टी०सी०-289-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (361)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

24. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1699 / ग्यारह-2-25- 9 (47)-17-टी०सी०284-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (362)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

25. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1771/ ग्यारह-2-25- 9 (47)-17- टी०सी०-297-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (363)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

26. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1770/ ग्यारह-2-25- 9 (47)-17- टी०सी०-298-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (364)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

27. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1769/ ग्यारह-2-25- 9 (47)-17- टी०सी०-296-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (365)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

28. मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1837 / ग्यारह-2-25- 9 (42)-17-टी०सी०-75-उ०प्र०जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश (367)-2025, दिनांक 26 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

29. वित्त मंत्री, वित्त परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (भाग-1 से भाग-6 तक) को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम 176 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखेंगे।

30. संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (सोलहवाँ संस्करण) के निदेश संख्या-14(3) के अनुसार अठारहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2025 (दिनांक 11 अगस्त, 2025 से 14 अगस्त, 2025 तक) में नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।

31. जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 द्वारा यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखेंगे।

32. ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्ट्रोत मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वशवर्ती और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र) विनियमावलियाँ, 2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

33. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि: -

(1) निम्नलिखित विधेयक जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2025 को वापस प्राप्त हो गये।

- (i) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025
- (ii) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025
- (iii) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025
- (iv) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025

(v) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

(vi) उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025

(2) निम्नलिखित विधेयक जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 14 अगस्त, 2025 को वापस प्राप्त हो गये।

(i) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025

(ii) उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025

34. प्रमुख सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि:-

(1) उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

(2) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का पाँचवाँ अधिनियम बन गया।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल

महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का छठवाँ अधिनियम बन गया।

(4) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का सातवाँ अधिनियम बन गया।

(5) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का आठवाँ अधिनियम बन गया।

(6) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का नवाँ अधिनियम बन गया।

(7) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का दसवाँ अधिनियम बन गया।

(8) उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था,

पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का न्यारहवाँ अधिनियम बन गया।

(9) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किया था तथा जो श्री अर्द्धयक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 अगस्त, 2025 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का तेरहवाँ अधिनियम बन गया।

(11) कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 अगस्त, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का चौदहवाँ अधिनियम बन गया।

35. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएं, यदि कोई हों।

36. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

37. याचिकाओं का उपस्थापन देखिये न्तर्थी (ख)।

38. नियम-315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अर्द्धयक्ष द्वारा घोषणा:

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा नियम-225 के अन्तर्गत दिनांक 19 दिसम्बर 2025 से दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देंगे।

सिफारिशों की सूचना के लिये देखिये निचे (ग),

39. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हो।
40. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
41. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
42. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
43. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
44. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
45. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
46. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
47. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
48. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
49. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।

50. वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
51. वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
52. नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
53. नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
54. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
55. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।
56. कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
57. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा “भारत के राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने” के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि दिनांक 07 नवम्बर, 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिमचन्द्र चटर्जी ने “वंदे मातरम्” गीत की रचना की थी। वर्ष 2025 में भारत के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका “बंगदर्शन” में उनके उपन्यास “आनंदमठ” के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। समय के साथ, वंदे मातरम् स्वतंत्रता सेनानियों के लिये एक आध्यात्मिक शक्ति, मातृभूमि के प्रति समर्पण और विदेशी शक्ति के खिलाफ प्रेरणा का एक चित्रण बन गया तथा इसने गहरी देशभक्ति की भावनाओं को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन जैसी कई पहलों ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के केन्द्रीय नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। अंग्रेज सरकार के विरोध में होने वाली बैठकों और सभाओं के दौरान “वंदे मातरम्” का पाठ किया जाता था। अरविंदो घोष जैसे

दार्शनिकों का मानना था कि वंदे मातरम का आशीर्वाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिव्य शक्ति है।

1905 में वंदे मातरम बंगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कर्नाटक के गुलबर्गा में वंदे मातरम आंदोलन को हैदराबाद-कर्नाटक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण कहा जाता है।

24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने “जन गण मन” को राष्ट्रगान और “वंदे मातरम” को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया।

दिनांक 07 नवम्बर, 2025 को इस गीत के 150 वर्ष पूरे हुए और इसे एक वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव के साथ मनाया जा रहा है जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दूरदर्शन पर प्रातः 10 बजे किया गया जिसके बाद पूरे देश में एक साथ “वंदे मातरम” का सामूहिक गायन हुआ। यह स्मरणोत्सव भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है तथा आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को पुष्ट करता है।“

58. नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनाएं, यदि कोई हों।

लखनऊः

दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 ₹०

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

\*\*\*\*\*



## नत्थी (ख)

### याचिकाओं का उपस्थापन

1. श्री सुरेश पासी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मलावॉ मजरे गढा में नटडेरा से गयादीन पासी के घर तक इंटरलाकिंग (400 मी० लगभग) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहब बक्श सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित करेंगे।
2. श्री किरत सिंह, मा० सदस्य विधान सभा जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर के ग्राम गुडम्ब के पास कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
3. डा० वीर विक्रम सिंह “प्रिंस”, मा० सदस्य विधान सभा जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदांगंज के अन्तर्गत ग्राम दनौतिया से रहीमपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेश पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
4. ई० सचिन यादव, मा० सदस्य विधान सभा जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा जसराना के विकास खण्ड एका नगला नेकराम से नगला हर्जू फरेदा मार्ग पर अरिन्द नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्वेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित करेंगे।
5. श्री आशु मलिक, मा० सदस्य विधान सभा जनपद सहारनपुर देहात के गागलहेड़ी टोल व हरोड़ा टोल के आस-पास की परिधि में निवास करने वाले स्थानीय निवासियों के निजी वाहनों को नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार टोल टैक्स से छूट प्रदान करने हेतु समुचित आदेश निर्गत करने के सम्बन्ध में श्री हैदर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।

- |     |  |
|-----|--|
| 6.  | श्री गौरी शंकर वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत उरई नगर पालिका में मलगां नाले का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशांत अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित करेंगे।  |
| 7.  | श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बरेली की तहसील बरेली सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड भोजीपुरा के ग्राम रमपुरा माफी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ताहिर खान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करेंगे।   |
| 8.  | श्रीमती सलोना कुशवाहा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम उदारा डामर मार्ग से भरतापुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित करेंगी।   |
| 9.  | श्री रामरतन कुशवाहा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद ललितपुर की विधान सभा 226 ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिषद के कई वर्षों से जर्जर पड़े समस्त मार्गों को लोक निर्माण विभाग हस्तान्तरण कराते हुए पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।    |
| 10. | श्री मूलचन्द्र सिंह निरंजन, मा० सदस्य विधान सभा जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत रेंद्र सदपुरा मार्ग से नावली माता मन्दिर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुटृटीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित करेंगे।  |
| 11. | श्री ऊंकिशन साहू, मा० सदस्य विधान सभा जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड सदर के गाजीपुर चोकरपुर मार्ग से आदर्श बाजार में मुन्ना के घर से होते हुए लगभग 700 मी० मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र दुबे व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित करेंगे। |
| 12. | श्री अखिलेश, मा० सदस्य विधान सभा जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के समेदा-राजभर बस्ती से नहर होते हुये शाहगढ़ समेदा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचरन राम व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित करेंगे।   |

13. श्री वाचस्पति, मा० सदस्य विधान सभा जनपद प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र में जसरा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बसहरा तरहार में एवं विकास खण्ड शंकरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जूही में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित करेंगे।
14. श्री लक्ष्मी यादव, मा० सदस्य विधान सभा जनपद गोरखपुर के कैम्पियरगंज के थाना क्षेत्र के करमैनीघाट पुलिस चौकी में तैनात तत्कालीन चौकी प्रभारी भूपेन्द्र तिवारी के द्वारा की गई धन उगाही व भ्रष्टाचार की जाँच कर उचित कार्रवाई करें जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
15. श्री राकेश प्रताप सिंह, मा० सदस्य विधान सभा जनपद लखनऊ के विधान सभा सरोजनी नगर के न्यू शुभम सिटी कालोनी पण्डित खेड़ा में स्थित माँ गायत्री धाम से होते हुए हनुमान जी के मन्दिर के पास वाली रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती जानकी पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित करेंगे।
16. श्री श्रीकान्त कटियार, मा० सदस्य विधान सभा जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र बाँगरमऊ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भड़सर नौशहरा के मजरा ऊधम खेड़ा व ग्राम पंचायत शाहपुर खुर्द के मध्य कल्याणी नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामरत्न पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करेंगे।
17. श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, मा० सदस्य विधान सभा जनपद गोणडा के अन्तर्गत संस्कृति विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-2026 की कार्ययोजना में सम्मिलित गोणडा की तहसील तरबगंजल में स्थित सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल महाराज परमहंस बरियाडीह के रामलीला मैदान का जीर्णोद्धार व सौन्दर्योक्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोणडा की याचिका उपस्थित करेंगे।
18. श्री सुभाष त्रिपाठी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बहराइच के ब्लाक कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम इटहुआ के ग्राम नकौड़ी शाहपुर के गौशाला मे चहार दीवारी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री रामखिलाड़ी यादव, मा० सदस्य विधान सभा जनपद संभल के गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रजपुरा चन्दूनगला से पंचायत घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद संभल की याचिका उपस्थित करेंगे।
20. श्रीमती विजमा यादव, मा० सदस्य विधान सभा जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड प्रतापपुर के नासिर पट्टी में चौरा देवी मन्दिर से भारत लाल यादव के घर तक आर०सी०सी० सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत लाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित करेंगी।
21. डॉ वीरेन्द्र कुमार यादव, मा० सदस्य विधान सभा जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर विकास खण्ड सदर ग्राम सभा आरीपुर पिच रोड से हनुमान जी के मन्दिर होते हुए राम विलास के घर तक आर०सी०सी० मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेसलाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
22. श्री नन्द किशोर गुर्जर, मा० सदस्य विधान सभा जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित करेंगे।
23. श्री बम्बा लाल दिवाकर, मा० सदस्य विधान सभा जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम पंचायत चम्पतपुर के मजरा ओगरापुर व वीरमपुर व कतिपय ग्रामों में ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करेंगे।
24. श्री रविदास मेहरोत्रा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर की समस्या के निवारण हेतु नई सीवर लाईन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुमितयाज सिद्दीकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित करेंगे।
25. श्री रमेश चन्द्र मिश्र, मा० सदस्य विधान सभा जनपद जौनपुर के विकास खण्ड महाराजगंज के अन्तर्गत ग्राम बाबूगंज में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।

26. डॉ पल्लवी पटेल, मा० सदस्य विधान सभा जनपद कौशाम्बी विकास खण्ड सिराथू के रमसहायपुर से भैरमपुर तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित करेंगी।
27. श्री त्रिभुवन दत्त, मा० सदस्य विधान सभा जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम मसेना मिर्जापुर में डॉ सी०के० चौधरी के घर के उत्तर से सभाजीत पाल के खेत तक मार्ग(लगभग 250 मी०) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया प्रसाद यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित करेंगे।
28. श्री मौहम्मद फहीम इरफान, मा० सदस्य विधान सभा जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम मुहम्मद इब्राहिमपुर समेत कतिपय ग्रामों लिपिकीय शुद्धीकरण उपरान्त शत-प्रतिशत का वितरण कराने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद सुबहान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित करेंगे।
29. श्री दुर्गा प्रसाद यादव, मा० सदस्य विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आजमपुर में प्रधानमंत्री सड़क से प्रकाश के घरहोते हुए हरीश के घर के पास 1500 मी० क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री राम नयन यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित करेंगे।
30. श्री बृजेश कुमार रावत, मा० सदस्य विधान सभा जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज विधान सभा क्षेत्र मोहान, ब्लाक व नगर पंचायत औरास के अन्तर्गत समदपुर हरदास से ठकवा जगदीशपुर व आदमपुर बरेठी से शेखपुर बुजुर्ग सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री शिवम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करेंगे।
31. श्री सत्यपाल सिंह राठौर, मा० सदस्य विधान सभा जनपद एटा की तहसील अलीगंज में मण्डी निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका उपस्थित करेंगे।
32. श्रीमती सरोज सोनकर, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बहराइच के तहसील मिहीपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहीपुरवा में पालीटेक्निक कालेन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राकेश पोरवाल उर्फ भुटानी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित करेंगे।

33. श्री अरमान खान, मा० सदस्य विधान सभा जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधोपुर द्वितीय के बरौरा में हैदरगंज पुलिया से लेकर मेवालाल गौतम के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री चाद बाबू व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित करेंगे।
34. श्री मनोज कुमार पारस, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत कस्बा किरतपुर में ओल्ड एन एच 119 पर मा० असलम के खेत खसरा न० 302 से मंडावर रोड तक बाईपास बनवाये जाने के संबंध में मा० असलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित करेंगे।
35. ई० बृजेश कठेरिया, मा० सदस्य विधान सभा जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में मनिगांव मार्ग से बल्लमपुर तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में सुश्री सवित व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित करेंगे।
36. श्री जय प्रकाश अंचल, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सरजू नदी के कटान से बचाये जाने हेतु कटान रोधी कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राम प्रताप यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित करेंगे।
37. श्री मोहम्मद हसन रुमी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत छावनी विधान सभा क्षेत्र के जोन 2 वार्ड 99 सुजातगंज चंदारी में डीपी स्कूल से शिव मंदिर तक सड़क एवं साइड पटरी निर्माण कराये जाने के संबंध में मा० नफिस व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
38. श्री स्वामी ओमवेश, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र 23 चॉटपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के अन्तर्गत लाटरा शिव मन्दिर से धनोरा मार्ग को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराए जाने के संबंध में श्री हरिओम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित करेंगे।

39. श्री सुनील दत्त द्विवेदी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद फरूखाबाद के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड बढ़पुर में स्थित ग्रामसभा हाथीपुर के मजरा नटनगला में नाले निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अतीक खान व अन्य निवासीगण जनपद फरूखाबाद की याचिका उपस्थित करेंगे।
40. श्री राम मूर्ति वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के ब्लाक बसखारी के ग्राम रामडीह सराय (गढ़ा) में एन०एच०-२३३ के बगल वीरेन्द्र निषाद के खेत से होते हुए तालाब के पास स्थित नाले पर पुल एवं रोड निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित करेंगे।
41. श्री अमिताभ बाजपेई, मा० सदस्य विधान सभा जनपद कानपुर के जी०एस०वी०एम० मेडिकल कॉलेज में गेरियाट्रिक मेडिसन डिपार्टमेन्ट शुरू किये जाने के संबंध में श्री नीरज सिंह निवासी जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
42. श्री राहुल राजपूत “राहुल लोधी”, मा० सदस्य विधान सभा जनपद रायबरेली के विधान सभा हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा टांडा में बारात घर का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित करेंगे।
43. डा० रागिनी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के बरसठी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से ग्रामसभा आदमपुर होते हुए ग्रामसभा कटवार (निगोह-गोधना सम्पर्क मार्ग) तक मार्ग का नव-निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विवेक यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
44. डा० अमित सिंह चैहान, मा० सदस्य विधान सभा जनपद अयोध्या की तहसील एवं विकास खण्ड बीकापुर के ग्राम पंचायत शेरपुर में बैजनाथ प्रसाद जायसवाल के घर से काली माता के चैरा तक 100 मी० नाली निर्माण के संबंध में श्री बैजनाथ प्रसाद जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित करेंगे।
45. डा० सुरभी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद फरूखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा कतिपय ग्रामों की अनुसूचित जाति बस्तियों में सड़क निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री कन्हैया सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फरूखाबाद की याचिका उपस्थित करेंगी।

46. श्री अतुल प्रधान, मा० सदस्य विधान सभा जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के अन्तर्गत ग्राम घोरिया अस्सा माडी मार्ग से रहातवी इण्टर कॉलिज मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री आलोक व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित करेंगे।
47. श्री लक्ष्मीराज सिंह, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक-सिकन्दराबाद के अन्तर्गत फौलादपुर से भैसोली तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री पुष्पेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित करेंगे।
48. डा० शलभ मणि त्रिपाठी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद देवरिया के ग्राम सभा बसडिला से ग्राम सभा बोडीया अनंत होते हुए ग्राम सभा औराचैरी रेलवे ढाला तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क का चैड़ीकरण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री दुर्गेश सिंह सैंथवार व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित करेंगे।
49. श्री समर पाल सिंह, मा० सदस्य विधान सभा जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात के अन्तर्गत ग्राम सिछाली जहाँगीर में बड़ी चैपाल के पास गांव स्थित तालाब की सफाई कराये जाने के संबंध में श्री असलम खान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित करेंगे।
50. श्री कमाल अख्तर, मा० सदस्य विधान सभाजनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील ठाकुरद्वारा के अन्तर्गत ग्राम वजीदपुर के भट्ठे से लेकर गुलडिया माफी तक 1.5 किमी० मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ० नजाकत अली व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित करेंगे।
51. डा० आर० के० वर्मा, मा० सदस्य विधान सभाजनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत रानीगंज विधान सभा क्षेत्र के सुवंसा मेडुवाडीह मार्ग (ओ०डी०आर०) एवं लक्ष्मीपुर दिलीपुर ताला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो० सलीम व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित करेंगे।
52. श्री चौधरी बाबूलाल, मा० सदस्य विधान सभा जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम नागर में बच्चू सिंह प्रधान जी के घर से शमशान तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित करेंगे।

53. श्री संग्राम सिंह, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बलिया के अन्तर्गत बहादुरपुरकारी दलित बस्ती में विद्युतिकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जुगुल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित करेंगे।
54. श्रीमती पूजा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना ग्राम सभा सिंहपुर सरैया (पिलौटा) बेसो नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित करेंगी।
55. श्री विकास गुप्त, मा० सदस्य विधान सभा जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र 241-अयाहशाह के अन्तर्गत कस्बा गाजीपुर ब्लाक बहुआ को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह परमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
56. श्री सुरेन्द्र मैथानी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत गुजैनी स्केप की पुनर्स्थापना एवं किलोमीटर 1200 पर कलवर्ट निर्माण की वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित करेंगे।
57. श्री गौरव कुमार रावत, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत ब्लाक मसौली में ग्राम बांसा में सङ्क का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामिल अली व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित करेंगे।
58. श्री देवेन्द्र निम, मा० सदस्य विधान सभा जनपद सहारनपुर में कुंदनगढ़ पुल से जंगली पुल तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सैनी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
59. श्री अजय सिंह, मा० सदस्य विधान सभा जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत बालपुर परसपुर पसका मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित करेंगे।
60. श्रीमती गुड़िया कठेरिया, मा० सदस्य विधान सभा जनपद औरैया की तहसील औरैया के अन्तर्गत ग्राम बीझलपुर में यमुना नदी पर सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित करेंगी।

61. श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद अमरोहा विकास खण्ड गंगेश्वरी के ग्राम पंचायत आदमपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री के०पी०सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित करेंगे।
62. श्री पीयूष रंजन निषाद, मा० सदस्य विधान सभा जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत ग्राम सभा डीहा में पेयजल योजना में स्थापित पानी की टंकी से हर घर जल की सप्लाई सुचारू रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित करेंगे।
63. श्री राजमणि कोल, मा० सदस्य विधान सभा जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के टुड़ियार के सेवरी नदी की पुलिया का मरम्मतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्द कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित करेंगे।
64. श्री जगदीश नारायण राय, मा० सदस्य विधान सभा जनपद जौनपुर की तहसील केरावत के अन्तर्गत वाराणसी जिले से सटा हुआ त्रिलोचन महादेव औद्योगिक विकास क्षेत्र (टीडा) में बन्द पड़ी फैक्ट्रीयों को चलाने तथा क्षेत्र के विकास हेतु सरकारी पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
65. श्रीमती पूनम संखवार, मा० सदस्य विधान सभा जनपद कानपुर देहात के मकरांदपुर कहिंझरी में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल तोमर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित करेंगी।
66. श्री निर्मल वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के विकास खण्ड के अन्तर्गत बिसवां सिधौली मार्ग-नहर पुलिया राजाडीह से रुकनापुर मण्डी मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम किशोर व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित करेंगे।

67. श्री राम अचल राजभर, मा0 सदस्य विधान सभा जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत स्थित अकबरपुर दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग से राजबहादुर खेत से उत्तर माध्यमिक विद्यालय चनवा बदलपुर तक सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री जगन्नाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित करेंगे।
68. श्री आनन्द कुमार यादव, मा0 सदस्य विधान सभा जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत जरवल रोड से रेवड़ा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित करेंगे।
69. श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य विधान सभा जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खजुहा अमौली, देवमई को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में श्री अनुज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
70. श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, मा0 सदस्य विधान सभा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा सदर 248 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330 पर न्यूनतम 12 सूट का सर्किट हाउस बनाये जाने के संबंध में श्री राहुल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित करेंगे।
71. श्री प्रभुनरायन सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान सभा जनपद लखनऊ के बीबीखेड़ा आवास विकास के पास हैमिल्टन एकेडमी स्कूल के बगल से पीछे जाने वाली 110 मी0 कच्ची सड़क को इंटरलाकिंग या आर0सी0सी0 बनवाये जाने के संबंध में श्री विनय श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित करेंगे।
72. श्री महेन्द्र नाथ यादव, मा0 सदस्य विधान सभा जनपद बस्ती के सदर ब्लाक ग्राम गिदही खुर्द के गुड्डू फार्म से लेकर फूल चन्द के मकान तक खड़ंजा मार्ग व नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अपलू व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित करेंगे।
73. श्री बेदी, मा0 सदस्य विधान सभा जनपद गाजीपुर के जखनियां में कतिपय बाजारों में सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विकास राय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।

74. श्री विवेक कुमार वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायॉ विकास क्षेत्र-सिंधौली के ग्राम सहोरा में चकबंदी प्रक्रिया कराये जाने के संबंध में श्री रामसरन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
75. श्री रामअवतार सिंह सैनी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र 24 नूरपुर के ग्राम रहटा में सरकारी कुए से दौलतपुर सड़क का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री नफीस व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित करेंगे।
76. श्री जवाहर लाल राजपूत, मा० सदस्य विधान सभा जनपद झांसी के विधान सभा गरौठा में कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री दीपक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करेंगे।
77. श्री राकेश कुमार यादव, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत पिपरिहा जमुनी मोथिवाड़ीहे सम्पर्क मार्ग से भैसहवा सम्पर्क मार्ग, भदुई कन्हई डीह सम्पर्क माग, जड़ीकुईया गनेशपुर सम्पर्क मार्ग से सिसहनिया सम्पर्क मार्ग तक (नगर पंचायत पचपड़वा) निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राम अनुज निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
78. श्री कविन्द्र चैधरी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बस्ती की तहसील हरैया, विधान सभा कप्तानगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड गौर के ग्राम मुसहा बेलघाट मार्ग पर राम चन्द्र मिश्रा के मशीन से माध्यमिक विद्यालय होते हुए श्मशान घाट तक माग निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अजीत चैधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित करेंगे।
79. श्री अनिल प्रधान, मा० सदस्य विधान सभा खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विपणन वर्ष 2025-2026 में खरीफ की फसल में भूमि का रकबा स्वतः कम्प्यूटर द्वारा आधा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित करेंगे।
80. श्रीमती अनुपमा जायसवाल, मा० सदस्य विधान सभा जनपद बहराइच के विधान सभा बहराइच में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धरसवा में बलरामपुर रोड से गोण्डा रोड साहू भट्ठा तक डामर रोड का निर्माण कराये

	<p>जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप नारायण निवासी जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित करेंगी।</p>
81.	<p>श्री प्रभात कुमार वर्मा, एडवोकेट, मा० सदस्य विधान सभा जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम पंचायत केशवनगर ग्रन्ट व कतिपय ग्राम पंचायत में 33/11 विद्युत सबस्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य कुंवर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित करेंगे।</p>
82.	<p>श्रीमती सैयदा खातून, मा० सदस्य विधान सभा जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज-306 के अन्तर्गत धोबहा चौराहे से कुनगाई मार्ग जोउसतावर जोत से होलियापुर तक 01 किमी० मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोतीबुल व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित करेंगी।</p>
83.	<p>श्री हरिओम वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद कासगंज के तहसील व विकास खण्ड सहावर के अन्तर्गत रानी अवन्ती बाई नगर की गलियों में सी०सी० या इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित करेंगे।</p>
84.	<p>श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में सी०एच०सी० सैया में एक्स-रे व अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित करेंगे।</p>
85.	<p>श्री चन्द्रभानु पासवान, मा० सदस्य विधान सभा जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत कालीगंज, परसौली गाँव में मङ्हा के उस पार किसानों को खेती करने/आने जाने हेतु पुलिया का निर्माण कार्य कराये के सम्बन्ध में श्री राजेश कौशल व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित करेंगे।</p>
86.	<p>श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', मा० सदस्य विधान सभा जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर में स्थित कल्याणपुर-शिवराजपुर-शिवली मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० डा० गया प्रसाद कटियार के नाम पर किये जाने के संबंध में श्री अश्वेन्द्र उर्फ शिम्पू कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।</p>

87. श्री ब्रजभूषण राजपूत, मा० सदस्य विधान सभा जनपद महोबा के विकास खण्ड पनवाड़ी के ग्राम गढ़ौरा में पुल का निर्माण कराने के संबंध में श्री ब्रजपाल राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित करेंगे।
88. श्री ठा० रामवीर सिंह, मा० सदस्य विधान सभा जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी एवं विकास खण्ड मूण्डापाण्डेय के मध्य गागन नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रमेश कुमार कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित करेंगे।
89. श्री बेचई सरोज, मा० सदस्य विधान सभा जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत टिकटगाढ़ में नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एक्स-रे मशीन, डन्टल यूनिट, सी0आर0 मशीन तथा पैथोलाजी लैब की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री पाचू यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित करेंगे।
90. श्री कमला कान्त राजभर, मा० सदस्य विधान सभा जनपद आजमगढ़ के ब्लाक मोहम्मदपुर में गोसड़ी राजभर बस्ती से नन्दाव व लालपुर पोखरा तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राकेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित करेंगे।
91. श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मा० सदस्य विधान सभा श्री राकेश पटेल, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्री राकेश मिश्रा निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित करेंगे।
92. डा० सुनील पटेल, मा० सदस्य विधान सभा जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र 387 रोहनियां के अन्तर्गत जल निकासी एवं नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विनेश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित करेंगे।
93. डा० आर० के० पटेल, मा० सदस्य विधान सभा जनपद जौनपुर के विधान सभा मडियाहूं में विकास खण्ड रामपुर के अन्तर्गत भरसथ बसीरपुर मार्ग महेवा से दया शंकर पटेल के घर से बसीरपुर पंचायत भवन पिच रोड तक नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।

94. श्रीमती सरोज कुरील, मा० सदस्य विधान सभा जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत नवेली पावर प्लान्ट के आस पास सरकारी खाली पड़ी जमीन पर नया एक विद्युत पारेषम केन्द्र बनाये जाने के संबंध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित करेंगी।
95. श्री शफीक अहमद अंसारी, मा० सदस्य विधान सभा जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत मस्वासी बिजली घर के सामने से खुशालपुर के मोड तक डामरीकरण कराये जाने के संबंध में मा० अहमद व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
96. श्री प्रदीप कुमार यादव, मा० सदस्य विधान सभा जनपद औरेया की विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत ग्राम सुरजपुर से मल्हौसी तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री भुरेसिंह व अन्य निवासीगण जनपद औरेया की याचिका उपस्थित करेंगे।
97. श्री प्रदीप शुक्ला, मा० सदस्य विधान सभा जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम जिगिना चौराहा से फरसाड़ा पुल होते हुए मदनपुरा से अन्तपुर पुल तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित करेंगे।
98. श्रीमती इन्द्राणी वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में भिन्गा तहसील से बगीवगी परसाडेहरिया लक्ष्मनपुर बैराज कानीबोड़ी तक रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमोहन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित करेंगी।
99. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, मा० सदस्य विधान सभा जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के ग्राम जैतपुरा पोस्ट चन्द्रपुर में श्री ध्रुव कुमार दुबे के मकान से श्री श्यामदयाल चौबे के मंदिर होते हुए श्री शेर सिंह के मकान तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित करेंगे।
100. श्री धीरेन्द्र सिंह, मा० सदस्य विधान सभा गौतमबुद्धनगर में वर्ष 2013 में अभिग्रहित भूमि के एवज में मिलने वाले आबादी भूखंड न दिये जाने के संबंध में श्री सुधीर त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका उपस्थित करेंगे।





## नत्थी (ग)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 दिसम्बर 2025 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 दिसम्बर 2025 से दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैं:-

1- दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को 'भारत के राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष' पूर्ण होने पर मा० संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर 4 घण्टे की चर्चा।

2-दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को भूतपूर्व मा० सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जाएं।

दिनांक 19 दिसम्बर 2025 से दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय:-

### दिसम्बर, 2025

19 शुक्रवार निधन के निर्देश।

20 शनिवार  
21 रविवार } बैठक नहीं होगी।

22 सोमवार 1- औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

### 2- 12:20 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

### 3- विधायी कार्य।

23 मंगलवार 1- निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।  
2- विधायी कार्य।  
3- अन्य कार्य, यदि कोई हों।

24 बुधवार 1- वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।  
2- विधायी कार्य।